न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 12/2012
प्रविष्टि दिनांक 30–11–2012

1–जगदीश पुत्र श्योकरण जाति गुर्जर निवासी गंगापुरा तहसील पीपलू जिला–टोंक
2–देवा पुत्र श्योकरण जाति गुर्जर निवासी गंगापुरा तहसील पीपलू जिला–टोंक
3–छोटू पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी गंगापुरा तहसील पीपलू जिला–टोंक
4–भेंरू पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी गंगापुरा तहसील पीपलू जिला–टोंक
5–मदन पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी गंगापुरा तहसील पीपलू जिला–टोंक

..........प्रार्थीगण

बनाम

1–कलावंती देवी पत्नि कन्हैयालाल जाति खंगार निवासी टोंक
2–भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोंक

...........प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) आवण्टन नियम 1970 विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी टोंक दिनांक 13.6.1975

उपस्थिति : (1) श्री पवन कुमार जैन अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्रीमति रमा चोधरी व श्री धीरज संगत अभिभाषक अप्रार्थीगण

<u>निर्णय</u> दिनांक 21–1–2021

1– प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 13–6–1975 को भू आवण्टन सलाहकार समिति टोंक द्वारा प्रतिपक्षी श्रीमति कलावती देवी पत्नि कन्हैयालाल जाति खंगार निवासी टोंक को ग्राम गंगापुरा तह0 पीपलू में आराजी खसरा नम्बर 65 में से रकबा 6 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवण्टन किया गया है। प्रार्थीगण ने उक्त आवण्टन को विधि विधान एंव तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए आवण्टन निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

2– प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी प्रतिपक्षीगण जरिए नोटिस की गई। विवादित भूमि से सम्बन्धित आवण्टन पत्रावली मॅंगवाई गई। प्रतिपक्षी अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने से अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

3– प्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिपक्षी नं0 1 का आवण्टन छल–कपट की परीधि में होने से चलने योग्य नहीं है निरस्त किये जाने योग्य है। आवण्टित की गई भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है, और यह भूमि बरवक्त आवण्टन प्रार्थी के कब्जे में थी। अतः आवण्टन गलत किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि [illegible] सद्भावी कृषक नहीं है, उसने आवंटित भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की [illegible] गांव गंगापुरा की निवासी भी नहीं है। आवण्टन के समय इसका [illegible] में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत था जिसने [illegible] के नाम उक्त आवण्टन

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:10:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

करवाया है ओर आज तक अलाटशुदा भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया है जिससे भी साबित है कि प्रार्थीगण ही इस भूमि पर काबिज काश्त है। आवण्टन के प्रार्थना पत्र में भी काटा फासी करके अपने आपको अलीगढ़ का निवासी होना तथा मजदूरी करना लिखा है। आवण्टन आदेश से पूर्व आवण्टन समिति द्वारा उद्वघोषणा जारी नहीं की हे ओर न ही प्रार्थीगण को मोके से बेदखल किया गया है ओर उनको सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। आवण्टी ने धोखा धडी से आवण्टन कराया है अतः प्रतिपक्षी नं01 को किया गया भूमि का आवण्टन निरस्त किया जावे।

4— प्रार्थीगण के अभिभाषक को बहस के जवाब में प्रतिपक्षी नं0 1 के अभिभाषक ने लिखत बहस में अंकित किया कि कथन किया कि भूमि आवण्टन होने के बाद में आवण्टी लगातार अलाटशुदा भूमि पर काश्त करती आ रही है ओर आज भी आवण्टी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा ओर न ही उनके द्वारा ऐसा सबूत प्रस्तुत किया जिससे विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त रहा हो। प्रतिपक्षी नं0 1 के अभिभाषक ने लिखित बहस में यह भी अंकित किया है कि प्रतिपक्षी सं0 1 अनुसूचित जाति की अशिक्षित वृद्व महिला है तथा वह कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं रखती इसलिए आदेशों की पालना नहीं हुई, उक्त भूमि को प्रतिपक्षी के नाम राजस्व रिकार्ड मे नहीं चढाये जाने एंव उक्त भूमि को सिवायचक ही रह जाने की जानकारी होने पर उसने उपखण्ड अधिकारी पीपलू को 1989 आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया था जिस पर उपखण्ड अधिकारी पीपलू ने पटवारी हल्का को पालना रिपोर्ट भी पेश करने हेतु लिखे जाने के सूचना प्रतिपक्षी सं0 1 को उपलब्ध करवाई थी। साथ ही 1975 में दिया गया पट्टा व सुपुर्दगीनामा भी पेश किया था जिस पर गिरदावर, हल्का को पुलिस इमदाद से उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने व उसके बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा था। प्रार्थी भूमि पर स्वंय का कब्जा दिखा कर छीनना चाहता है व उक्त भूमि का अमद दरामद आवंटी के नाम न हो इस कारण साजिशी रूप से उक्त वाद प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जावे एंव प्रतिपक्षी नं0 1 का आवण्टन बहाल रखा जावे।

5— प्रार्थीगण के अभिभाषक व अप्रार्थी सं0 1 के अभिभाषक की लिखित बहस पर मनन किया एंव आवण्टन पत्रावली का तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। आवण्टन पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रतिपक्षी नं0 1 कलावती देवी पत्नि कन्हैयालाल जाति खंगार निवासी टोंक को दिनांक 13—6—75 को ग्राम गंगापुरा के आराजी खसरा नम्बर 65 रकबा 6 बीघा भूमि का आवण्टन भू—आवण्टन सलाहकार समिति टोंक द्वारा किया गया है। प्रार्थीगण ने उक्त आवण्टन को इस आधार पर निरस्त कराना चाहा है कि अलाट की गई भूमि पर कई सालों से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। आवण्टी सद्भावी कृषक नहीं है, उसने आवटित भूमि पर कभी भी क़ाश्त नहीं की है, वह गॉव गंगापुरा की निवासी भी नहीं है। आवण्टन के समय इसका पत्नि उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत था जिसने नाजायज रूप से अपनी पत्नि के नाम उक्त आवण्टन करवाया है ओर आज तक अलाटशुदा भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया है। प्रतिपक्षी सं0 1 ने लिखित बहस में भी यह कही अंकित नहीं किया कि उसका पति उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं था। इससे साबित है कि बरवक्त आवण्टन आवण्टी का पति राजकीय कर्मचारी था जबकि उसकी पत्नि ने आवण्टन के प्रार्थना पत्र में अलीगढ की निवासी एंव व्यवसाय में मजदूरी करना अंकित है। राजस्थान [illegible] नियम 1970 के नियम 2(।।।—बी) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी [illegible] उसकी पत्नि या उन पर निर्भर संतानों को भूमिहीन कृषक नहीं माना [illegible] है। आवण्टी ने 1975 या

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:50:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

उसके बाद से आवंटित भूमि पर कभी काश्त की हो ऐसा भी कोई सबूत पेश नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों एंव विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी सं0 1 ने आवण्टन शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है। ऐसी स्थिति में विपक्षी सं0 1 को किये गये आवण्टन को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण 14(4) स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कलावती देवी पत्नि कन्हैयालाल जाति खंगार निवासी टोंक को दिनांक 13–6–1975 को ग्राम गंगापुरा की आराजी खसरा नम्बर 65 रकबा 6 बीघा भूमि का आवण्टन आदेश निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21–1–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:10:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner